भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3931
उत्तर देने की तारीख 19.12.2024

खादी कामगार

†3931. श्री मनीष जायसवालः
श्रीमती स्मिता उदय वाघः
श्री विनोद लखमशी चावड़ाः
श्री प्रवीण पटेलः
श्री कंवर सिंह तंवरः
श्री जगदम्बिका पालः
श्री मुकेश राजपूतः
श्री सुरेश कुमार कश्यपः
श्रीमती अपराजिता सारंगीः
श्री दिलीप शइकीयाः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश में खादी कामगारों को नई मजदूरी प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के संबंध में तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किए जाने की संभावना है कि मजदूरों को लम्बे समय तक मजदूरी उपलब्ध हो;

(घ) क्या उपभोक्ता वस्तुओं पर घोषित छूट का प्रभाव अधिकतम हो इसके लिए सरकार का खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(च) खादी क्षेत्र के समग्र विकास और वृद्धि को बढ़ावा देने के साथ-साथ खादी कामगारों की आजीविका में सुधार लाने में उक्त वेतन वृद्धि और छूट की प्रभावशीलता की निगरानी के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(छ) हिमाचल प्रदेश में खादी कामगारों की वर्तमान स्थिति और संख्या कितनी है; और

(ज) सरकार का खादी क्षेत्र के सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व को बनाए रखते हुए उत्पादों के लिए एक सतत् बाजार सुनिश्चित करने हेतु इस पारिस्थितिकी तंत्र को किस प्रकार और सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) एवं (ख): खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने खादी कारीगरों की सहायता करने के लिए उनकी आय और समग्र आजीविका में सुधार करने हेतु समय-समय पर उनकी मजदूरी में वृद्धि की है। दिनांक 01.04.2023 से, कताई मजदूरी को 7.50 रुपये प्रति लच्छा से बढ़ाकर 10.00 रुपये प्रति लच्छा कर दिया गया और बुनाई मजदूरी में 10% की वृद्धि की गई, जिससे खादी कारीगरों की न केवल उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई, बल्कि उनकी आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

इसके अलावा, दिनांक 02.10.2024 से केवीआईसी ने कताई मजदूरी को 10.00 रुपये प्रति लच्छा से बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लच्छा कर दिया है और बुनाई मजदूरी में 7% की वृद्धि की है।

इसके अलावा, एमएमडीए के अंतर्गत, सूती, ऊनी, पॉलीवस्त्र के खादी संस्थाओं के मामले में एमएमडीए का 35% कारीगरों को प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किया जाता है तथा रेशम के खादी संस्थाओं के मामले में एमएमडीए की 30% राशि कारीगरों को प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जाती है। वर्ष 2023-24 के दौरान एमएमडीए के अंतर्गत लाभान्वित खादी कारीगरों की संख्या और उन्हें दिए गए प्रोत्साहन का राज्य-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग): खादी कारीगरों की दीर्घकालिक मजदूरी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रदान की गई सहायता का विवरण निम्नानुसार है:

i. संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए): एमएमडीए के अंतर्गत, सूती, ऊनी, पॉलीवस्त्र के खादी संस्थाओं के मामले में कारीगरों को एमएमडीए का 35% प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किया जाता है और रेशम के खादी संस्थाओं के मामले में कारीगरों को एमएमडीए का 30% प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किया जाता है।

ii. खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम के अंतर्गत कारीगरों को व्यक्तिगत वर्कशेड के निर्माण के लिए 1,20,000/- रुपये या वर्कशेड की कुल लागत का 75% {पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 90%) की वित्तीय सहायता और समूह वर्कशेड (न्यूनतम 5 और अधिकतम 15 कारीगर) के लिए, प्रति कारीगर 80,000/- रुपये या समूह वर्कशेड की कुल लागत का 75% (पूर्वोत्तर के लिए 90%) जो भी कम हो, सहायता प्रदान की जाती है।

iii. इसके अलावा, खादी कारीगरों की आजीविका में सुधार करने के लिए, उनकी मजदूरी में समय-समय पर वृद्धि को प्राथमिकता दी गई है। कताई मजदूरी को ₹10.00 प्रति लच्छा से बढ़ाकर ₹12.50 प्रति लच्छा करने और सूती खादी, ऊनी खादी एवं पॉलीवस्त्र के लिए बुनाई मजदूरी में 7% की वृद्धि लागू करने जैसी पहल को 2 अक्टूबर 2024 से कार्यान्वित किया गया है।

(घ) एवं (ङ): खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए केवीआईसी द्वारा निम्नलिखित पहलें की जा रही हैं:

i. केवीआईसी ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) के साथ साझेदारी की है और खादी उत्कृष्टता केंद्र (सीओईके) की स्थापना की है, ताकि अभिनव खादी उत्पाद विकसित किए जा सकें, कारीगरों को क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके और नए डिजाइन तैयार किए जा सकें। इन प्रयासों का उद्देश्य खादी उत्पादों के प्रचार और बिक्री को बढ़ावा देना है, जिससे अंततः खादी कारीगरों के लिए बेहतर मजदूरी और आजीविका सुनिश्चित हो सके।

ii. हब और स्पोक मॉडल पर खादी के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओईके) को राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) नई दिल्ली को निफ्ट अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और शिलांग के साथ-साथ हब के रूप में स्थापित किया गया है, ताकि वैश्विक मानकों के लिए बेंचमार्क डिजाइन प्रक्रियाओं की स्थापना, नए वस्त्र और उत्पाद बनाने, वस्त्रों के लिए गुणवत्ता मानकों का प्रचार-प्रसार, नई खादी के बारे में दिलचस्प आख्यान बनाकर ब्रांडिंग और प्रचार, नए खादी उत्पादों के लिए रचनात्मक विजुअल विपणन और पैकेजिंग तथा राष्ट्रीय खादी फैशन शो और प्रदर्शनियों के आयोजन के माध्यम से खादी की वैश्विक पहुंच को बढ़ाया जा सके।

iii. केवीआई उत्पादों को घरेलू स्तर पर सुलभ बनाने के लिए विभिन्न स्तर की प्रदर्शनियों का आयोजन करना तथा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) में सहभागिता।

iv. क्रेता से उपभोक्ता को उत्पाद की बिक्री करने के उद्देश्य से जेम पोर्टल (gem.gov.in) और ई-मार्केटिंग पोर्टल (www.ekhadiindia.com) के माध्यम से एमएसएमई के लिए ई-मार्केट लिंकेज के द्वारा उत्पाद आपूर्ति/विपणन तंत्र की व्यवस्था की गई।

v. खादी के पारखी और डिजाइनरों दोनों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न शहरी केंद्रों और टियर-II शहरों में खादी लाउंज की स्थापना की गई।

vi. खादी उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए सरकारी विभागों और विभिन्न सरकारी संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के थोक खरीदारों की आवश्यकताओं को पूरा करना।

vii. ग्राहकों को आकर्षित करने और केवीआई उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अवसरों/त्योहारों पर विशेष छूट की घोषणा की गई है।

viii. वैश्विक स्तर पर ब्रांड 'खादी' की पहचान की रक्षा के लिए, केवीआईसी ने 15 देशों में ट्रेडमार्क 'खादी' के लिए पंजीकरण प्राप्त किया है और 32 देशों में खादी लोगो के लिए पंजीकरण प्राप्त किया है।

(च) एवं (छ): खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) स्कीमों के अंतर्गत प्रभावी कार्यान्वयन और निधियों का समय पर संवितरण सुनिश्चित करने के लिए, केवीआईसी के क्षेत्रीय कार्यालय नियमित रूप से जागरूकता शिविर, समीक्षा बैठकें और निगरानी कार्यकलाप आयोजित करते हैं। इसके अतिरिक्त, स्वीकृत दिशा-निर्देशों के अनुसार, खादी विकास योजना की राज्य/मंडल निदेशकों और क्षेत्रीय उप सीईओ तथा राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय कार्यालय द्वारा कई स्तरों पर बारीकी से निगरानी की जाती है।

इसके अलावा, केवीआईसी ने संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए) और आईसेक लाभों के संवितरण को डिजिटल कर दिया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड से सीधे कारीगरों के बैंक खातों में स्थानांतरित हों तथा पारदर्शिता एवं दक्षता में वृद्धि हो।

खादी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए केवीआईसी द्वारा निम्नलिखित पहलें की जा रही हैं:

i. केवीआईसी ने खादी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कई पहलों का कार्यान्वयन किया है। इनमें निफ्ट के साथ साझेदारी करना और खादी के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओईके) की स्थापना करना शामिल है, ताकि अभिनव उत्पाद विकसित किए जा सकें, क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके और नए डिजाइन तैयार किए जा सकें। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), एमगिरी, दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (एसआईटीआरए) और बॉम्बे वस्त्र अनुसंधान संघ (बीटीआरए) जैसे प्रमुख संस्थानों के साथ सहयोग प्रक्रिया अनुकूलन पर केंद्रित है, ताकि कठिन परिश्रम को कम किया जा सके, उत्पादकता में सुधार किया जा सके और कारीगरों की आय में वृद्धि की जा सके। भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) के साथ साझेदारी से उत्पाद की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। साथ ही खादी संस्थानों के उत्पादन और विपणन अवसंरचना को उन्नत करने के प्रयास इस क्षेत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाते हैं। इन उपायों का उद्देश्य नवाचार, गुणवत्ता और कारीगरों के लिए बेहतर आजीविका को बढ़ावा देना है।

ii. **खादी विकास योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन:** वित्तीय सहायता पद्धति को बढ़ाकर खादी कारीगरों को अधिक लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से, खादी विकास योजना के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है, जिसमें **वर्कशेड स्कीम के अंतर्गत**: वर्कशेड के निर्माण हेतु व्यक्तिगत वर्कशेड के लिए 1,20,000/- रुपये और समूह वर्कशेड के लिए 80,000/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

iii. **मौजूदा कमज़ोर खादी संस्थाओं की अवसंरचना का सुदृढीकरण के अंतर्गत:** रुग्ण/कमजोर/समस्याग्रस्त/'डी' श्रेणी के संस्थानों को पुनर्जीवित करने के लिए, उक्त स्कीम के अंतर्गत केवीआईसी द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई है तथा मंत्रालय द्वारा सहायता पद्धति को 9.90 लाख रुपये से संशोधित कर 15.00 लाख रुपये कर दिया गया है।

iv. **बिक्री केन्द्रों का नवीनीकरण:** खादी कारीगरों को स्थायी आय प्रदान करने के उद्देश्य से, बिक्री केन्द्रों के नवीनीकरण हेतु केवीआईसी विपणन अवसंरचना के लिए सहायता के अंतर्गत धन-राशि प्रदान कर रहा है।

v. **कारीगर कल्याण निधि ट्रस्ट:** इस पहल के अंतर्गत, कारीगरों के वेतन से कारीगर कल्याण निधि के 12% हिस्से की कटौती की जाएगी तथा इसके समान 12% केआई जमा से कटौती कर राज्य स्तरीय कारीगर कल्याण निधि ट्रस्ट में जमा की जाएंगे, जिसे खादी कारीगरों द्वारा आवश्यकतानुसार निकाला जा सकेगा।

हिमाचल प्रदेश में खादी कार्यकलापों के अंतर्गत कुल 3378 खादी कारीगर कार्यरत हैं।

(ज): परंपरागत खादी क्षेत्र की सततता और विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केवीआईसी, खादी विकास योजना के अंतर्गत खादी क्षेत्र को सुदृढ़ करने और खादी उत्पादों के लिए स्थायी बाजार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है। इन कार्यकलापों में अभिनव उत्पाद और डिजाइन बनाने के लिए राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) जैसे संस्थानों के साथ साझेदारी, खादी उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्यूसीआई के साथ साझेदारी और खादी संस्थानों के उत्पादन और विपणन अवसंरचना को उन्नत करने पर ध्यान केंद्रित करना शामिल हैं। ये पहलें भारत की खादी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में योगदान देती हैं, जो खादी कारीगरों की आजीविका में सुधार और इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए संरेखित हैं।

*****

अनुबंध

दिनांक 19.12.2024 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3931 के भाग (ख) के संदर्भ में उल्लिखित अनुबंध

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एमएमडीए के अंतर्गत लाभान्वित खादी कारीगरों की संख्या और दिए गए प्रोत्साहन का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कारीगरों की सं.	दिया गया प्रोत्साहन (लाख रु. में)
1.	**हिमाचल प्रदेश**	**22**	**0.38**
2.	पंजाब	262	10.74
3.	हरियाणा	21615	943.73
4.	दिल्ली	192	4.27
5.	राजस्थान	5998	463.16
6.	उत्तराखंड	3039	221.46
7.	**उत्तर प्रदेश**	**40273**	**2124.87**
8.	छत्तीसगढ़	1342	289.76
9.	मध्य प्रदेश	1007	96.63
10.	नागालैंड	36	4.80
11.	मणिपुर	23	0.89
12.	असम	1819	46.71
13.	बिहार	390	11.44
14.	पश्चिम बंगाल	25106	2064.11
15.	झारखंड	157	14.16
16.	ओडिशा	858	89.00
17.	गुजरात	13712	1964.04
18.	महाराष्ट्र	400	26.28
19.	आंध्र प्रदेश	3491	302.58
20.	तेलंगाना	396	9.87
21.	कर्नाटक	8077	760.51
22.	केरल	11258	766.92
23.	तमिलनाडु	9572	1099.47
	कुल	**149045**	**11315.79**